



“ आत्म निर्भर भारत और रोजगार की संभावनाएँ ”

डॉ. राजू रैदास

शोधार्थी - डी-लिट (वाणिज्य), अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय,
रीवा (म०प्र००) भारत.

आत्म निर्भर भारत परिचय - Introduction :-

आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है स्वयं पर निर्भर होना, यानि खुद को किसी और पर आश्रित न करना। कोरोना महामारी के दौरान लाकडाउन में सारे विश्व में हर किसी के लिए खाने, पीने और रहने में परेशानी पैदा कर दी है। महामारी की इस संकट को देखते हुए भारत को आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। भारत प्राचीन काल से ही आत्मनिर्भर रहा है, और इस कड़ी में आत्मनिर्भर बनकर आप खुद के परिवार के साथ-साथ आप अपने देश को फिर से प्रगति के मार्ग पर खड़ा करने में मदद कर सकते हैं।

आत्मनिर्भर भारत भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने सम्बन्धी एक दृष्टि (विजन) है। इसका पहली बार सार्वजनिक उल्लेख उन्होंने 12

मई 2020 को किया था जब वे कोरोना-वाइरस विश्वमारी सम्बन्धी एक आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहे थे। आशा की जा रही है कि यह अभियान कोविड-19 महामारी संकट से लड़ने में निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और एक आधुनिक भारत की पहचान बनेगा। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है जो देश की सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10 प्रतिशत है। इसकी खास बात यह है कि उन्होंने किसी को भी नगद बहुत कम दिया, लेकिन अर्थव्यवस्था के सम्यक संचालन का जो अभूतपूर्व दृष्टिकोण दिया, उससे न तो देश घाटे में रहेगा, न ही किसी को आगे वित्तीय मनमानी करने की छूट मिलेगी, जैसा कि अब तक बताया जाता रहा है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के कल्याण के लिए कुल 16-घोषणाएँ की गईं य गरीबों, श्रमिकों और किसानों के लिए अनेक घोषणाएँ की गईं जिनमें किसानों की आय दोगुनी करने के लिए की गईं 11 घोषणाएँ भी शामिल हैं।

‘आत्मनिर्भर भारत’ के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं किया जाएगा अपितु दुनिया के विकास में मदद की जाएगी। मिशन को दो चरणों में लागू किया जाएगा। प्रथम चरण में चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, खिलौने जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि स्थानीय विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। द्वितीय चरण में रत्न एवं आभूषण, फार्मा, स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

पैकेज का बहुत बड़ा हिस्सा ऋण के रूप में देने की योजना है। सरकार बैंकों को ऋण वापसी की गारंटी देगी। कुछ क्षेत्रों में ब्याज दर में 2 प्रतिशत का भार स्वयं वहन करेगी। ऋण की रकम सरकार नहीं बैंक से जाएगी। कोरोना महासंकट के दौर में दुनिया में भारत ही ऐसा राष्ट्र है जिसने इतने बड़े पैकेज की घोषणा की है। कोरोना महासंकट के बीच भी नरेन्द्र मोदी जिस आत्मविश्वास से इस महामारी से लड़े उससे अधिक आश्चर्य की बात यह देखने को मिली कि उन्होंने देश का मनोबल गिरने नहीं दिया। उनसे यह संकेत बार-बार मिलता रहा है कि हम अन्य विकसित देशों की तुलना में कोरोना से अधिक प्रभावी एवं सक्षम तरीके से लड़े हैं और उसके प्रकोप को बाँधे रखा है। इससे ऐसा बार-बार प्रतीत हुआ कि भारत दुनिया का नेतृत्व करने की पात्रता प्राप्त कर रहा है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के पाँच स्तम्भ :-

(1) अर्थव्यवस्था :- एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो छोटे-छोटे परिवर्तन (इंक्रिमेंटल चेंज) नहीं, बल्कि ऊँची छलांग (क्वाण्टम जम्प) लाए।



(2) बुनियादी ढाँचा :- एक ऐसा बुनियादी ढाँचा, जो आधुनिक भारत की पहचान बने। विदेशी कंपनियों को आकर्षित कर सके।

(3) प्रौद्योगिकी :- एक ऐसा सिस्टम, जिसमें आधुनिक तकनीक को अपनाने और समाज में डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ाना शामिल है।

(4) जनसंख्यिकी (डेमोग्राफी) :- भारत की जीवन्त जनसंख्यिकी हमारी ताकत है, आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत है।

(5) माँग :- भारत के पास बड़ा घरेलू बाजार और माँग है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग :-

मोदी सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए इसकी परिभाषा में संशोधन किया है। सूक्ष्म या माइक्रो इकाई, में निवेश की ऊपरी सीमा 1 करोड़ रुपये और टर्नओवर 5 करोड़ रुपये होना चाहिए। लघु इकाई में निवेश की ऊपरी सीमा 10 करोड़ रुपये और टर्नओवर 50 करोड़ रुपये होना चाहिए। मध्यम इकाई में निवेश की ऊपरी सीमा 50 करोड़ रुपये और 250 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए।

संकटग्रस्त एमएसएमई के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, इससे 2 लाख एमएसएमई को मदद मिलेगी। फंड ऑफ फण्ड्स के माध्यम से एमएसएमई के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की पूँजी लगाए जाने को स्वीकृति दी गई है। एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन कार्यशील पूँजी सुविधा दी गई है।

सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 45 दिन के भीतर एमएसएमई के बकायों का भुगतान करना होगा। सूक्ष्म खाद्य उद्यमों (एमएफई) को औपचारिक रूप देने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की योजना शुरू की गई। 2 लाख एमएफई की सहायता के लिए 'वैश्विक पहुँच के साथ वोकल फार लोकल' का शुभारम्भ किया जाएगा। एमएसएमई की सहायता और कारोबार के नए अवसर के लिए 'चौपियंस' पोर्टल लान्व किया गया है।

ज्ञातव्य है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। 6 करोड़ से अधिक एमएसएमई जीडीपी में 29 प्रतिशत और निर्यात में लगभग 50 प्रतिशत योगदान करते हैं। इस क्षेत्र में 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

सरकार द्वारा इस क्षेत्र के लिए घोषित 16 नीतियाँ निम्नलिखित हैं :-

1. एमएसएमईज सहित व्यापार के लिए रुपये 3 लाख करोड़ सम्पार्श्विक निःशुल्क स्वचालित ऋण।
2. एमएसएमईज के लिए रु 20 हजार करोड़ का अधीनस्थ ऋण।
3. एमएसएमईज के फण्ड के माध्यम से रुपए 50 हजार करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूजन।
4. एमएसएमईज की नई परिभाषा गढ़ी दी गई है।
5. एमएसएमईज के लिए वैश्विक टेण्डर की सीमा बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये तक कर दी गई है।
6. एमएसएमई के लिए अन्य हस्तक्षेप भी किये गए हैं।
7. 3 और महीनों के लिए व्यापार और श्रमिकों के लिए 2500 करोड़ रुपये का ईपीएफ समर्थन दिया गया है।
8. ईपीएफ अंशदान 3 महीने के लिए व्यापार और श्रमिकों के लिए कम हो गया है।
9. एनबीएफसीएस, एचसी, एमएफआई के लिए 30 हजार करोड़ रुपये की तरलता सुविधा प्रदान की गई है।
10. एनबीएफसी के लिए 45000 करोड़ रुपये की आंशिक क्रेडिट गारण्टी योजना दी गई है।
11. डीआईएससीओएम के लिए 30 हजार करोड़ रुपये की तरलता इंजेक्शन दिया गया है।
12. ठेकेदारों को राहत दी गई है।
13. ईआरए के तहत रियल एस्टेट परियोजनाओं के पंजीकरण और पूर्णता तिथि का विस्तार किया गया है।
14. डीएस-टीसीएस कटौती के माध्यम से 50 हजार करोड़ रुपये की तरलता प्रदान की गई है।
15. अन्य कर उपाय किये गए हैं।

'मेक इन इण्डिया' को प्रोत्साहन :-

प्रधानमन्त्री मोदी ने 4 जुलाई, 2020 को एप के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए 'एप इनोवेशन चौलेंज' लान्व किया। एप इनोवेशन चौलेंज का मंत्र है 'भारत में भारत और विश्व के लिए बनाओ' (मेक इन इण्डिया फार इण्डिया एण्ड द वर्ल्ड)।

भारत आज पीपीई किट का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। सीएसआईआर-एनएएल ने 35 दिनों के भीतर बाईपैप वेण्टिलेटर का विकास किया। वस्त्र समिति (मुम्बई) ने पूर्ण रूप से स्वदेशी डिजाइन और 'मेक इन इण्डिया' वाला पीपीई जाँच उपकरण बनाया। बिजली क्षेत्र में ट्रांसमिशन लाइन टॉवर से लेकर, ट्रांसफार्मर और इन्सुलेटर तक देश में ही बनाने पर जोर दिया गया

है। सभी सेवाओं में सरकारी खरीद व अन्य के लिए ‘मेक इन इण्डिया’ नीति में संशोधन किया गया है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए ‘मेक इन इण्डिया,’ को बढ़ावा दिया जाएगा। एक निश्चित समयवधि के भीतर आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए हथियारों / प्लेटफार्मों की एक सूची को अधिसूचित किया जाएगा। आयातित पुर्जों का स्वदेशीकरण किया जाएगा और इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाएगा। आयुध निर्माणियों (आर्डनेंस फैक्ट्रियों) को कार्पोरेट का दर्जा दिया जाएगा और उनको शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया जाएगा।

कोरोना काल के तीन-चार महीने में ही पीपीई की करोड़ों की इण्डस्ट्री भारतीय उद्यमियों ने ही खड़ी की है। रक्षामन्त्री ने घोषणा की है कि 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगा दी गयी है।

प्रधानमन्त्री स्वनिधि योजना :-

भारत में कोरोना महामारी से लाकडाउन के कारण नाई की दुकानें, मोची, पान की दुकानें व कपड़े धोने की दूकानें, रेहड़ी-पट्टी वालों की आजीविका पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। इस समस्या को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक नई योजना की घोषणा की है जिसका नाम है पीएम स्वनिधि योजना। इस योजना के अंतर्गत रेहड़ी पट्टी वालों को सरकार द्वारा 10,000 रुपये का ऋण मुहैया कराया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत दी जा रही अल्पकालिक सहायता 10,000 रुपया छोटे सड़क विक्रेताओं को अपना काम फिर से शुरू करने में सक्षम बनाएंगे। इस योजना के जरिये भी आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी।

गरीबों, श्रमिकों और किसानों के लिए की गई मुख्य घोषणाएँ :-

14 मई 2020 को घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के अन्तर्गत मुख्यतः गरीब, श्रमिक और किसानों के लिए जो घोषणाएँ की गई हैं, वह निम्नलिखित हैं :-

- पहला, किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करने की कोविड-19 पश्चात योजना।
- दूसरा, पिछले 2 महीनों के दौरान प्रवासी और शहरी गरीबों के लिए सहायता योजना।
- तीसरा, प्रवासियों को वापस करने के लिए एमजीएनआरईजीएस सहायता योजना।
- चतुर्थ, श्रम संहिता में बदलाव करके श्रमिकों के लिए लाभ सुनिश्चित करना
- पंचम, 2 महीने के लिए प्रवासियों को मुफ्त भोजन की आपूर्ति
- षष्ठम, 2021 तक ‘एक देश एक राशन कार्ड’ द्वारा भारत में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उपयोग करने के लिए प्रवासियों को सक्षम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकी प्रणाली को बढ़ावा दिया जाना तय हुआ है।
- सप्तम, प्रवासी श्रमिकों, शहरी गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास परिसर बनाने की पहल
- अष्टम, मुद्रा शिशु ऋण के लिए 1500 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
- नवम, स्ट्रीट वेण्डर्स के लिए 5 हजार करोड़ रुपये की विशेष क्रेडिट सुविधा दी जा रही है।
- दशम, सीएलएसएस के विस्तार के माध्यम से आवास क्षेत्र और मध्यम आय वर्ग को बढ़ावा देने के लिए 70 हजार करोड़ रु निर्धारित
- ग्यारह, सीएमपीए फण्ड का उपयोग कर 6 हजार करोड़ रोजगार पक्का किया जा रहा है।
- बारह, नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए 30 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूँजीगत निधि सुनिश्चित की गई है।
- तेरह, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ढाई करोड़ किसानों को बढ़ावा देने के लिए 2 लाख रखे गए हैं।

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए की गई 11 घोषणाएँ :-

आत्मनिर्भर भारत अभियान के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा देश के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए मुख्यतः ग्यारह प्रकार की घोषणा की गई है।

1. कृषि अवसंरचना की स्थापना के लिए 11 लाख करोड़ रुपये का कोष
2. सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के एक औपचारिककरण के उद्देश्य से एक नई योजना के लायक 10 हजार करोड़ दिए जा रहे हैं।
3. प्रधानमन्त्री मातृ सम्पदा योजना के तहत मछुआरों के लिए 2 हजार करोड़ रुपये आवंटित
4. पशुपालन के बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का सेटअप किया जाएगा।
5. केन्द्र सरकार जड़ी-बूटियों की खेती के लिए 4 हजार करोड़ रुपये आवंटित करेगी।
6. मधुमक्खी पालन की पहल के लिए 500 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं।
7. 500 करोड़ रुपये के सभी फलों और सब्जियों को कवर करने के लिए ‘अंपरेशन ग्रीन’ का विस्तार किया जाएगा।

8. अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू जैसे आवश्यक भोजन में संशोधन लाया जाएगा।
9. कृषि विपणन सुधारों को एक नए कानून के माध्यम से लागू किया जाएगा जो अंतरराज्यीय व्यापार के लिए बाधाओं को दूर करेगा।
10. किसान को सुविधात्मक कृषि उपज के माध्यम से मूल्य और गुणवत्ता आश्वासन दिया जाएगा।
11. चौथा और पाँचवाँ ट्रान्च ज्यादातर संरचनात्मक सुधारों से जुड़ा था, जो कुल मिलाकर 48,100 करोड़ का था, जिसमें वायबिलिटी गैप फण्डिंग ₹8,100 करोड़ है। इसके अतिरिक्त मनरेगा के लिए ₹40,000 करोड़ रखे गए हैं।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के लाभ देश के गरीब नागरिक, श्रमिक, प्रवासी मजदूर, पशुपालक, मछुआरे, किसान, संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र के व्यक्ति, काश्तकार, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यमवर्गीय उद्योग को मिलेंगे। जिससे 10 करोड़ मजदूरों को लाभ होगा, एमएसएमई से जुड़े 11 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा, उद्योग से जुड़े 3.8 करोड़ लोगों को लाभ पहुँचेगा और वस्त्र उद्योग से जुड़े साढ़े चार करोड़ कर्मचारियों को लाभ पहुँचेगा।

प्रमुख बिंदु :-

1. प्रधानमंत्री ने COVID-19 महामारी से पहले तथा बाद की दुनिया के बारे में बात करते हुए कहा कि 21 वीं सदी के भारत के सपने को साकार करने के लिये देश को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है।
2. प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि भारत को COVID-19 महामारी संकट को एक अवसर के रूप में देखना चाहिये।

आत्मनिर्भर भारत :-

1. वर्तमान वैश्वीकरण के युग में आत्मनिर्भरता (Self&Reliance) की परिभाषा में बदलाव आया है। आत्मनिर्भरता (Self&Reliance), आत्म-केंद्रित (Self&Centered) से अलग है।
2. भारत 'वसुधैव कुटुंबकम' की संकल्पना में विश्वास करता है। चूँकि भारत दुनिया का ही एक हिस्सा है, अतः भारत प्रगति करता है तो ऐसा करके वह दुनिया की प्रगति में भी योगदान देता है।
3. 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्करण नहीं किया जाएगा अपितु दुनिया के विकास में मदद की जाएगी।

मिशन के चरण :-

मिशन को दो चरणों में लागू किया गया है :-

प्रथम चरण :-

इसमें चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, खिलौने जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि स्थानीय विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।

द्वितीय चरण :-

इस चरण में रत्न एवं आभूषण, फार्मा, स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

आत्मनिर्भर भारत अभियान द्वारा प्रस्तुत अवसर :-

1. 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' को वर्ष 2014 में शुरू किये गए 'मेक इन इंडिया' अभियान के विस्तार के रूप में देखा जाना चाहिये, क्योंकि ये दोनों ही अभियान घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विनिर्माण निवेश हासिल करने के उद्देश्य को साझा करते हैं।
2. इस अभियान के हिस्से के रूप में घोषित पैकेज के तहत भारतीय समाज के संवेदनशील और वंचित वर्गों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs), कृषि क्षेत्र के लिये तथा व्यवसायों हेतु नियमों को आसान बनाने और अर्थव्यवस्था का समर्थन करने हेतु अन्य समाधानों की एक शृंखला हेतु कई वित्तीय सहायता उपायों की पेशकश की गई थी।
3. इस अभियान ने विदेशी निवेशकों के लिये रक्षा, परमाणु ऊर्जा, कृषि, बीमा, स्वास्थ्य सेवा और नागरिक उड्डयन सहित कई क्षेत्रों में निवेश के अवसर प्रदान किये हैं।

बढ़ती चिंता :-

1. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश का कम होना: इस कार्यक्रम के कुछ पहलुओं जैसे- आयात एवं आयात प्रतिस्थापन पर टैरिफ व गैर-टैरिफ प्रतिबंध में वृद्धि आदि में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा निवेश को कम करने की क्षमता है।

2. गैर-टैरिफ बैरियर, जैसे- कोटा (Quota), अधिरोध (Embargo) या सैंक्शन (Sanction) आदि व्यापार अवरोधक हैं, जिनका उपयोग देश अपने राजनीतिक और आर्थिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिये करते हैं।
3. देश मानक टैरिफ बैरियर (जैसे सीमा शुल्क) के स्थान पर गैर-टैरिफ बैरियर का उपयोग कर सकते हैं।
4. DISCOMS द्वारा तदर्थ नीति में परिवर्तन: बिजली वितरण कंपनियाँ (DISCOMS) और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के मामले में बिजली खरीद समझौतों पर दुबारा बातचीत करने के लिये तदर्थ (Ad&Hoc) परिवर्तनों को अपनाती हैं।
5. नीतिगत मुद्दे: भारत की बौद्धिक संपदा प्रवर्तन व्यवस्था में कठिनाइयाँ, फार्मा क्षेत्र के नियमों में अंतराल, दवा मूल्य नियंत्रण और डेटा स्थानीयकरण तथा शासन से संबंधित मानदंड।
6. डेटा स्थानीयकरण (देश की सीमाओं के भीतर डेटा संग्रहीत करना) वैश्विक आपूर्ति शृंखला तक पहुँच सीमित करके स्थानीय कंपनियों की वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को सीमित कर सकता है।
7. इससे निवेश, पूंजी और ग्राहकों तक पहुँच में कमी हो सकती है।

अंतरिक्ष क्षेत्र में :-

अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी निवेशकों के लिये खोलना एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन इससे जुड़ी प्रक्रियाओं से संबंधित कई पहलुओं के बारे में 'स्पष्टता की कमी' थी। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र (IN&SPACE) भारतीय अंतरिक्ष अवसंरचना का उपयोग करने हेतु निजी क्षेत्र की कंपनियों को समान अवसर उपलब्ध कराएगा।

रक्षा क्षेत्र में:-

रक्षा उपकरणों की 101 वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध को 4 वर्ष की अवधि तक या वर्ष 2024 तक लागू करने की योजना है। इसके अतिरिक्त रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020 में परिवर्तन के कारण यह संभावना सुनिश्चित की गई है कि इस सूची में कोई भी वस्तु कट-आफ तिथि से आगे आयात नहीं की जाती है। इससे भारत में विदेशी निवेश प्रभावित हो सकता है।

सुझाव : -

भविष्य की रणनीति बनाना : -

1. एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण जो क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाओं और स्थान संबंधी निर्णय लेने पर विचार करता है, सफल होने के लिये आवश्यक है।
2. भारत में मुक्त और निष्पक्ष व्यापार हेतु खुलेपन को बढ़ावा देना।
3. भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों को भारत में निवेश करने और मेक इन इंडिया को एक उपकरण के रूप में टैरिफ का उपयोग करने के बजाय अपनी क्षमता के कारण निवेशकों को आकर्षित करना चाहिये।

नवोन्मेषकों के विकास और समर्थन पर ध्यान देना :-

1. STEM डिजिटल, रचनात्मक और महत्वपूर्ण विचार कौशल पर ध्यान केंद्रित करने से यह ऐसे नेतृत्वकर्ताओं और कार्यकर्ताओं का निर्माण करेगा जो नवाचार कर सकते हैं तथा समस्याओं को हल कर सकते हैं।
2. भारत को एक नवप्रवर्तक-अनुकूल बौद्धिक संपदा नीति और प्रवर्तन व्यवस्था भी विकसित करनी चाहिये।

डिजिटल और डेटा :-

1. वैश्विक व्यापार में डिजिटल और डेटा सेवाओं का तीव्रता से बढ़ते महत्व के साथ भारत के समक्ष अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक बाजारों के साथ पूरी तरह से एकीकृत होने का अवसर उपलब्ध है।
2. भारत को अपनी विकास क्षमता को प्राप्त करने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence), डिजिटल तकनीक (Digital Technology) और डेटा के मौजूद अवसरों का दोहन करने के लिये इन क्षेत्रों में सक्रिय रूप से निवेश करना जारी रखना चाहिये।
3. भारत की व्यापार और निवेश रणनीति को स्थिरता प्रदान करना।
4. अगर व्यापारिक व्यवस्थाओं को सही ढंग से आकार दिया जाए, तो ये संस्थाएँ गरीबों का समर्थन करने और पर्यावरण की रक्षा करने में मदद कर सकती हैं।
5. देश और विभिन्न व्यापारिक समूह इस तथ्य से अवगत हैं तथा वे अपने व्यापार समझौतों और रणनीतियों में स्थिरता और मानवाधिकारों को तेजी से एकीकृत कर रहे हैं।

आत्मनिर्भर भारत अभियान :-

1. मई 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के इस कार्यक्रम को आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के साथ शुरू किया गया था - जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करना था।
2. वर्ष 2019-20 हेतु घोषित आर्थिक पैकेज भारत के सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product & GDP) का 10% था।
3. 20 लाख करोड़ रुपए की धनराशि में RBI के उपायों और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana) के तहत भुगतान को शामिल करते हुए लाकडाउन की शुरुआत में पहले से घोषित पैकेज शामिल हैं।
4. उम्मीद है कि इस पैकेज का उपयोग भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु किया जाएगा।

लक्ष्य :-

1. इसका उद्देश्य वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी हासिल करने हेतु सुरक्षा अनुपालन और सामानों की गुणवत्ता में सुधार करते हुए प्रतिस्थापन पर ध्यान केंद्रित करके आयात निर्भरता को कम करना है।
2. आत्मनिर्भरता न तो किसी बहिष्करण या अलगाववादी रणनीतियों का प्रतीक है बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर एक सहायता के रूप में देखे जाने की जरूरत है।
3. मिशन “स्थानीय” उत्पादों को बढ़ावा देने के महत्त्व पर केंद्रित है।

आत्मनिर्भर भारत के लिये आर्थिक प्रोत्साहन :-

1. प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत निर्माण की दिशा में विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज COVID-19 महामारी की दिशा में सरकार द्वारा की गई।
2. पूर्व घोषणाओं तथा त्प द्वारा लिये गए निर्णयों को मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपये का है, जो भारत की ‘सकल घरेलू उत्पाद’ (Gross domestic product & GDP) के लगभग 10% के बराबर है। पैकेज में भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों (Land Labour Liquidity and Laws & 4Is) पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

आर्थिक पैकेज का विश्लेषण :-

1. घोषित किया गया पैकेज वास्तविकता में घोषित मूल्य से बहुत कम माना जा रहा है क्योंकि इसमें सरकार के ‘राजकोषीय’ पैकेज के हिस्से के रूप में RBI द्वारा पूर्व में की गई घोषणाओं को भी शामिल किया गया है।
2. सरकार द्वारा पैकेज के तहत घोषित प्रत्यक्ष उपायों में सब्सिडी, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, वेतन का भुगतान आदि शामिल होते हैं। जिसका लाभ वास्तविक लाभार्थी को सीधे प्राप्त होता है। परंतु सरकार द्वारा की जाने वाली अप्रत्यक्ष सहायता जैसे ‘भारतीय रिजर्व बैंक’ के ऋण सुगमता उपायों का लाभ सीधे लाभार्थी तक नहीं पहुँच पाता है।
3. RBI द्वारा दी जाने वाली सहायता को बैंक ऋण देने के बजाय पुनः RBI के पास सुरक्षित रख सकते हैं। हाल ही में भारतीय बैंकों ने केंद्रीय बैंक में 8.5 लाख करोड़ रुपए जमा किये हैं।
4. इस प्रकार घोषित राशि GDP के 10% होने के बावजूद GDP के 5% से भी कम राशि प्रत्यक्ष रूप में लोगों तक पहुँचने होने की उम्मीद है।

उद्योगों के लिये विशेष प्रोत्साहन :-

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग’ के लिये क्रेडिट गारंटी :-

(Micro Small and Medium Enterprises & MSMEs)

हाल ही में डैडमे तथा अन्य क्षेत्रों के लिये सरकार द्वारा विभिन्न क्रेडिट गारंटी योजनाओं की घोषणा की गई।

क्रेडिट गारंटी :-

बैंकों द्वारा MSMEs को दिया जाने वाला अधिकतर ऋण MSMEs की परिसंपत्तियों (संपार्श्विक के रूप में) के आधार पर दिया जाता है। लेकिन किसी संकट के समय इस संपत्ति की कीमतों में गिरावट हो सकती है तथा इससे MSMEs की ऋण लेने की क्षमता बाधित हो सकती है। अर्थात् किसी संकट के समय परिसंपत्तियों की कीमतों में गिरावट होने से बैंक इन उद्योगों की ऋण देना कम कर देते हैं।

सरकार द्वारा इस संबंध में बैंकों को क्रेडिट गारंटी दी जाती है कि यदि डैडमे उद्यम ऋण चुकाने में सक्षम नहीं होते हैं तो ऋण सरकार द्वारा चुकाया जाएगा। उदारणतया यदि सरकार द्वारा एक फर्म को 1 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 100% क्रेडिट गारंटी दी जाती है इसका मतलब है कि बैंक उस फर्म को

1 करोड़ रुपए उधार दे सकता है। यदि फर्म वापस भुगतान करने में विफल रहती है, तो सरकार 1 करोड़ रुपए का भुगतान बैंकों को करेगी।

12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की (जोकि भारत की जीडीपी के 10% के बराबर है)। इसका उद्देश्य विश्वव्यापी सप्लाई चेन्स की कड़ी प्रतिस्पर्धा में देश को आत्मनिर्भर बनाना और कोविड-19 से प्रभावित गरीबों, श्रमिकों, प्रवासियों को सशक्त करने में मदद करना है। इस घोषणा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पांच प्रेस वार्ताएं कीं और आर्थिक पैकेज के अंतर्गत विस्तृत उपायों की घोषणा की। इस नोट में आर्थिक पैकेज के अंतर्गत प्रस्तावित मुख्य उपायों का सारांश प्रस्तुत किया गया है।

वित्तीय विशेषताएं :-

1. किसानों को रियायती ऋण: किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड्स के जरिए रियायती दरों पर संस्थागत ऋण की सुविधा दी जाएगी। इस योजना में 2.5 करोड़ किसानों को दो लाख करोड़ रुपए की लागत से रियायती ऋण दिया जाएगा।
2. कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड: फ्रम गेट और एग्रेगेशन प्वाइंट्स (जैसे सहकारी संघों और किसान उत्पादक संगठनों) पर कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर प्राजेक्ट्स के लिए एक लाख करोड़ रुपए का एक फंड बनाया जाएगा। फार्म गेट एक ऐसा बाजार है जहां खरीदार किसानों से सीधा उत्पाद खरीद सकते हैं।
3. किसानों के लिए आपातकालीन कार्यशील पूंजी: किसानों के लिए आपातकालीन कार्यशील पूंजी के रूप में 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जारी की जाएगी। यह राशि नाबार्ड के जरिए ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबीज) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबीज) को अपने फसल ऋण की जरूरतों को पूरा करने के लिए दी जाएगी। इस राशि से तीन करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह उस 90,000 करोड़ रुपए के वित्तीय सहयोग के अतिरिक्त है जो इस वर्ष फसल ऋण की जरूरत को पूरा करने के लिए आरसीबी और आरआरबी को नाबार्ड द्वारा प्रदान किया जाएगा।
4. मछुआरों को सहयोग: प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) मरीन और इनलैंड फिशरीज के एकीकृत, सतत और समावेशी विकास के लिए शुरू की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत मरीन, इनलैंड फिशरीज और एक्वाकल्चर संबंधी गतिविधियों पर 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 9,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए खर्च किए जाएंगे (जैसे कि मछली पकड़ने के बंदरगाह, कोल्ड चेन, बाजार)।
5. पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास: डेयरी प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, और पशु चारे से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी निवेश करने के उद्देश्य से 15,000 करोड़ रुपए का पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास फंड स्थापित किया जाएगा। उत्कृष्ट डेयरी उत्पादों के निर्यात हेतु संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।

सन्दर्भ गन्थ सूची :-

1. aatmnirbharsena-org
2. Presentation made by Union Finance & Corporate Affairs Minister Smt- Nirmala Sitharaman under Aatmanirbhar Bharat Abhiyaan to support Indian economy in fight against COVID&19 Ministry of Finance May 13 2020PRS-
3. https://static-pib-gov-
4. www.google.com/wikipedia.com
5. www.wikipedia.com